



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या व लोक सेवक के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले 04 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-270/2014 धारा-147,148,149,307,353,332,427 भा0द0सं0 व 07 सीएलए एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण हिस्ट्रीशीटर 01.खूबचन्द्र पुत्र सीताराम राजपूत 02.कल्लू पुत्र खूबचन्द्र राजपूत 03.रामबाबू पुत्र मंगल राजपूत व अभियुक्त 04.खेमा उर्फ खलक सिंह पुत्र खूबचन्द्र निवासी गण ग्राम उपहरका थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
उ0नि0 रामसनेही
पाल



पैरोकार- थाना मुस्करा
का0 ज्ञानेन्द्र कुमार